राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2979/2025

ताराचन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, देव स्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर (राज.)।
2. शासन उप सचिव, देव स्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर (राज.)।
3. सहायक आयुक्त, देव स्थान विभाग (प्रथम), जयपुर (राज.)।
4. श्री मुकेश कुमार शर्मा, हाल पदस्थापन स्थान कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.06.2025
आदेश की दिनांक : 01.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवम कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (प्रथम), जयपुर (राज.) में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2006 में अनुकम्पात्मक नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 13.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर कर दिया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का जयपुर से भरतपुर स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी की मां जो मस्तिष्क संबंधित अन्य बीमारी से पीडित है, जिनकी देखभाल के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी ने

आदेश दिनांक 15.01.2025 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1705/2025 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 28.02.2025 को आदेश पारित करते हुये निर्देश दिये कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग चार सप्ताह में उसका निस्तारण करे, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये दिनांक 06.05.2025 को आदेश जारी करते हुये अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निरस्त करते हुये कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर में पदस्थापित रहने के निर्देश जारी किये गये। इस प्रकार अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार न करते हुये उक्त आलोच्य आदेश मनमाने रूप से जारी किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं 08.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (प्रथम), जयपुर (राज.) में कार्यरत है। अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1705/2025 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2025 को आदेश जारी करते हुये अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को उसका चार सप्ताह में निस्तारण करने का निर्देश दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 12.03.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अधिकरण द्वारा दिनांक 08.05.2025 के द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये अपीलार्थी को कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी की पारिवारिक समस्याएं हैं। अपीलार्थी उक्त समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन

प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष